कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सिरोही

कार्यालय–आदेश

श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेशांकः शिविरा–माध्य/अनु.नियु./3901/नियुक्तिमूल/2022/138–144 दिनांक **01.12.2022** के द्वारा निम्नांकित मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के तहत **कनिष्ठ सहायक** पद पर नियुक्ति दिये जाने हेतु अनुमोदन दिये जाने के पश्चात इस कार्यालय को सुपुर्द करने से कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना संख्या–7(2)डीओपी/ए–11 /05(2/06(1) दि. 20.01.2006 एवं वित्त (नियम डिविजन) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.15(1) एफडी/रूल्स /2017 जयपुर, दिनांक 30.10.2017 के द्वारा राजस्थान सेवा नियमों में किये गये प्रावधानांतर्गत दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत मानदेय **रूपये 14600/– प्रतिमाह पर <u>कनिष्ठ सहायक</u>** पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से फिक्स रेमुनरेशन पर नियुक्त किया जाता है।

उक्त प्रावधानांतर्गत दो वर्ष का संतोषप्रद परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर **पै मेट्रिक्स लेवल एल–5 अनुसार 20800/–एवं नियमानुसार भत्ते** देय होंगे। इन्हें परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षणार्थी का कोई वेतन वृद्धि देय नही है, तथा इस अवधि में कार्मिक के मानदेय से राज्य बीमा की कटौती नहीं की जाएगी, किन्तु वित्त विभाग राजस्थान के आदेश दिनांक 25.05.2022 एवं 26.05.2022 के तहत प्रावधायी निधि की नियमानुसार कटौती की जाएगी। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि में रेम्यूननेशन के अतिरिक्त किसी प्रकार के भत्तें यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई भत्ता (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–7(1)/कार्मिक (क–2) (95) दिनांक 08.04.2003 के प्रावधानांतर्गत दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान उत्पन्न होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नही माने जाएंगे, किंतु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.2005 के प्रावधानानुसार विधवा की नियुक्ति पर यह लागू नहीं होंगे।

1. लिपिक ग्रेड–II पद पर नियुक्त अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः एफ. 7(2)कार्मिक/ए–II/2006 दिनांक 05.07.2010 के अनुसार शैक्षिक योग्यता प्राप्त होना चाहिए तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.05.2017 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अहर्ता नियुक्ति के पश्चात 02 वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी। यदि उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है तो जितनी विलम्ब अवधि से वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करेगा उसका परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि का आगे बढ जायेगा।
2. लिपिक ग्रेड–II पद पर नियुक्त अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा अब अधिसूचना दिनांक 05.07.2010 के तहत कम्प्यूटर से ली जाएगी, जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जाएंगे। इन्हें आगामी वेतन वृद्धि टंकन परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ही देय होगी। कार्मिक (क–2) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 07.09.2009 के अनुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा को टंकन परीक्षा उत्तीर्ण करने से छुट दी जाएगी।
3. इन्हें एक कलेण्डर वर्ष में परिवीक्षाकाल में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जाएगा। इसके अलावा परिवीक्षाकाल में किसी भी प्रकार का अन्य अवकाश देय नहीं होगा।

क्र. सं.	नाम आशार्थी	जन्मतिथि	योग्यता	नियुक्ति का पद	पदस्थापन स्थान
1	**सचिन कुमार** पुत्र कपूरा राम, मु.पो. बडगांव, तहसील शिवगंज जिला सिरोही पिन कोड 307027	18.11.1999	बी.ए. 2020	**कनिष्ठ सहायक**	**राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, वेरा जेतपुरा तहसील शिवगंज व जिला सिरोही**
2	**पवन कुमार** पुत्र लक्ष्मण कुमार, पोस्ट छावणी, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही पिन कोड 307027	13.01.2004	12वी. 2022	**कनिष्ठ सहायक**	**राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुराना जोगापुरा तहसील शिवगंज व जिला सिरोही**

इन्हें अपने पद का कार्यभार दिनांक **28.12.2022** तक ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। इन्हें कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्नांकित शपथ–पत्र/प्रमाण–पत्र संस्थाप्रधान प्राप्त करेः–

1. जन्मतिथि/शैक्षिक प्रशैक्षणिक योग्यता के प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति से जांच व उनकी वैद्यता एवं मान्यता आदि की जांच कर छाया प्रति संबंधित संस्थाप्रधान प्राप्त करें। राज्य सरकार के बाहर की डिग्रियों/प्रमाण–पत्रों के सत्यापन/वैद्यता एवं मान्यता के संबंध में संस्थाप्रधान सावधानीपूर्वक प्रकरण जांच करेंगे।
2. मृत राज्य कर्मचारी के परिवार का कोई भी सदस्य एवं आवेदक विवाहित होने की स्थिति में उसके भी परिवार का कोई भी सदस्य (पत्नी व अविवाहित पुत्री सहित) सरकारी/केन्द्र/निगम/बोर्ड या उपक्रम में कार्यग्रहण तिथि तक नियोजित नहीं है इस हेतु अनुकम्पा नियुक्ति नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करे। (मृतक की पत्नी पर यह नियम लागु नहीं होगा)

P.T.O

PSB

3. मृतक की पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया है तो उसके कार्यग्रहण तक वह अविवाहित है, इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करे।
4. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.02.2001 द्वारा नियमों के प्रावधान के अनुसार इनके द्वारा परिवार का भरण पोषण नहीं करने पर इनकी सेवाऐं समाप्त की जा सकेगी। आश्रित से मृतक के सभी आश्रितों के भरण पोषण करने संबंधी शपथ–पत्र प्राप्त करेंगे।
5. दत्तक पुत्र के संबंध में वैद्यता की जांच हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार की जाऐ।
6. संबंधित आश्रित को कार्यग्रहण करने से पूर्व सक्षम अधिकारी (पुलिस अधीक्षक) द्वारा जारी अच्छे पूर्वाचरण का प्रमाण–पत्र संबंधित संस्थाप्रधान को प्रस्तुत करना होगा। चरित्र संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में सेवा समाप्ति का अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, द्वारा जारी स्वास्थय प्रमाण–पत्र प्राप्त करें।
8. प्रार्थी की सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से अंकित किया जाऐ कि उक्त अभ्यर्थी को उनके पिता/पति के देहान्त होने पर राजस्थान मृतक सरकारी कर्मचारियों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अनुसार नियुक्ति प्रदान की गई है। इनके पिता/पति का देहान्त उक्त तिथि को हुआ था।
9. राज्य सरकार के आदेशानुसार धुमपान नहीं करने तथा दहेज नहीं लेने के संबंध में आवेदक से नियमानुसार शपथ पत्र प्राप्त करे।
10. इन्हें कार्यग्रहण करवाने पर कार्यग्रहण की सूचना तत्काल निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, पाली मण्डल, पाली एवं इस कार्यालय को भेजी जाऐ।

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियुक्ति रोस्टर प्रणाली से की जा रही है। जिसका रोस्टर इस कार्यालय में पृथक से भरा जा रहा है।

(गंगा कलावन्त)
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा सिरोही

क्रमांकः–जिशिअ/मा/सि/स्थापन–2/2022/432 दिनांकः–13.12.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान, जयपुर (दो प्रतिया)
2. उपशासन सचिव, कार्मिक (क–2), शासन सचिवालय, जयपुर
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर (दो प्रतिया)
4. जिला कलक्टर, सिरोही
5. संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा,पाली मण्डल, पाली/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सिरोही
6. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, सिरोही
7. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पं.स...
8. संस्थाप्रधान, राउमावि/राबाउमावि/रामावि/राबामावि..जिला सिरोही
9. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री..
10. निजी पंजिका/रक्षित पंजिका/नोटिस बोर्ड, स्थानीय कार्यालय, सिरोही

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा सिरोही

PSB